प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.06.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 11.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सिराजुद्दीन सैफी उर्फ चन्ना (पीटी टीचर) द्वारा वादिया (तत्कालीन उम्र करीब 14 वर्ष) को जूडो सिखाते समय गलत तरीके से छूना बात न मानने पर वादिया उपरोक्त को परीक्षा में फेल कराने की धमकी देना। जब वादिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर अभियुक्त सिराजुद्दीन उपरोक्त द्वारा वादिया को बुलाकर गलत काम करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सराजुद्दीन उर्फ चन्ना पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीड़िता के स्कूल में पीटी टीचर था। जूडो कराटे सिखाते समय मैं पीडिता को गलत तरीके से छूता था और मना करने पर परीक्षा में फेल कराने की धमकी देता था। पीडिता जब बालिग हो गई तो मैंने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त सराजुद्दीन उर्फ चन्ना पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग तथा पूर्व से मारपीट का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

ZFD एवं आगामी कांवड़ यात्रा के सम्बन्ध में समन्वय गोष्ठी

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देश के क्रम में गाजियाबाद के शहर / देहात क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम व सुरक्षित किये जाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 12.06.2026 को पुलिस उपायुक्त, यातायात की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, समस्त यातायात निरीक्षक, समस्त मार्शल मोबाईल एवं ZFD के CCT प्रभारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA), नगर निगम गाजियाबाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोष्ठी में ZERO FATALITY DISTRICT (ZFD) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, R.T.C (REDUCING TRAFFIC CONGESTION) योजना तथा आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गयी।

उक्त गोष्ठी में उपस्थित समस्त यातायात निरीक्षक, रूट मार्शल एवं सीसीटी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिसके दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं में कमी

लाये जाने तथा आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर यातायात के बेहतर संचालन, सुरक्षित, सुगम, सुदृढ़ व्यवस्था बनाये रखने के लिये सम्बन्धित विभागों से कांवड़ मार्ग पर प्रचलित एवं लम्बित कार्यों को कांवड़ यात्रा से पूर्व पूर्ण कराये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये गये:-

- सड़क के मध्य अवैध कटों को बन्द कराया जाना।
- सड़क के गड्ढों को भरा जाना।
- सड़कों की मरम्मत।
- क्षतिग्रस्त यू-टर्नो की मरम्मत कराया जाना।
- नालों की सफाई।
- खुले नालों की बैरीकेटिंग कराया जाना।
- सड़कों पर टूटी इण्टरलॉकिंग टाईल्स को ठीक कराना।
- ट्रैफिक सिग्नल वाले प्वाइंटों पर जैब्राक्रॉसिंग और स्टॉप लाईन की थर्मोप्लास्ट कराया जाना।
- डिवाइडर को ऊँचा कराया जाना।
- टूटी रेलिंगों की मरम्मत कराया जाना।
- साईनेज बोर्ड लगवाया जाना।
- डी०एम०ई० के एंट्री/एक्जिट प्वाइंट पर रम्बल स्ट्रिप लगाया जाना।
- परिवर्तन स्कूल के पास ब्लिकिंग लाइट एवं स्पीड ब्रेकर का बनाया जाना।

- उक्त गोष्ठी में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व यातायात कार्यालय से एन०ओ०सी० प्राप्त कर ली जाये। जिससे कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आमजनमानस को असुविधा से बचने हेतु ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा सके।
- सभी यातायात निरीक्षकगण, रूट मार्शल, सीसीटी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क मार्ग सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के दृष्टिगत सड़क दुर्घटना/जाम से बचाव हेतु अग्रिम समन्वय स्थापित कर पर्याप्त साईनेज बोर्ड, मार्शल, रिफ्लेक्टिव बैरियर, समुचित प्रकाश व्यवस्था आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जायें।

उपरोक्त सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण द्वारा दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गयी।